



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1065]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928

No. 1065]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BHADRA 23, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

(आय-कर)

का.आ. 1530(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय एवं कम्पनी मामले (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ.279(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः

सारणी

क्रम संख्या	मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक	आयकर आयुक्त/निदेशक	अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आयकर महानिदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली	आयकर निदेशक (अन्तरण मूल्य निर्धारण), दिल्ली	(i) संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-I), दिल्ली (ii) संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-II), दिल्ली (iii) संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-III), दिल्ली (iv) उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-IV), दिल्ली (v) उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-V), दिल्ली
2.	आयकर महानिदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली	आयकर निदेशक (अन्तरण मूल्य निर्धारण), मुम्बई	(i) संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-I), मुम्बई (ii) संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-II), मुम्बई

			(iii) संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-III), मुम्बई (iv) संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-IV), मुम्बई (v) संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-V), मुम्बई (vi) उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-VI), मुम्बई (vii) उप आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-VII), मुम्बई
3.	आयकर महानिदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली	आयकर निदेशक (अन्तरण मूल्य निर्धारण), बंगलौर	(i) संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-I), बंगलौर (ii) संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-II), बंगलौर (iii) आयकर उपायुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-III), बंगलौर (iv) संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी), हैदराबाद
4.	आयकर महानिदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली	आयकर निदेशक (अन्तरण मूल्य निर्धारण), कोलकाता	(i) संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-I), कोलकाता (ii) संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-II), कोलकाता (iii) आयकर उपायुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-III), कोलकाता
5.	आयकर महानिदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली	आयकर निदेशक (अन्तरण मूल्य निर्धारण), चेन्नई	(i) संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-I), चेन्नई (ii) संयुक्त आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-II), चेन्नई (iii) आयकर उपायुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी-III), चेन्नई

[अधिसूचना सं. 261/2006/फा. सं. 187/11/2005-आ.व.नि. I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

टिप्पणी :- दिनांक 12 मार्च, 2003 की मुख्य अधिसूचना का.आ. संख्या 279(अ), दिनांक 12 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी एवं बाद में दिनांक 15 दिसम्बर 2005 की का.आ. 1768 (अ) के अन्तर्गत संशोधित की गई।